



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260642
CG-DL-E-31012025-260642

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2025/ माघ 10, 1946

No. 85]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30 2025/MAGHA 10, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) हरियाणा के नीचे, क्रम संख्या 4 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"4.	एचटीएच लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, पानीपत पंजीकरण सं. 31/एन/एफएसएसएआई/2016 प्लॉट नंबर 50-सी, सेक्टर-25, भाग-II, हुडा, पानीपत, हरियाणा	जैविक रासायनिक";

(2) राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“3.	जगदंबा लेबोरेटरीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर पंजीकरण सं. 35/एन/एफएसएसएआई/2016 119, सॉलितेर इंडस्ट्रियल पार्क, चरण 1, दहमी कल्लन, बगरू, जयपुर, राजस्थान	जैविक रासायनिक”;

(3) उत्तर प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 1 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित ‘ख’ में,

(1) मध्य प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 4 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।

(2) महाराष्ट्र के नीचे,

(क) क्रम संख्या 7 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“7.	एफएचएचएल प्राइवेट लिमिटेड, पुणे पंजीकरण सं. 10/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2014 सर्वे नंबर 126/10, प्लॉट नंबर 1, हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, हडपसर, पुणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक”;

(ख) क्रम संख्या 38 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“39.	बायोजेड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे पंजीकरण सं. 74/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 प्लॉट नंबर बी-53, रोड नंबर 30, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक
40.	आदर्श वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और परीक्षण प्रयोगशाला प्राइवेट लिमिटेड, रायगढ़ पंजीकरण सं. 75/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2025 श्री डी.डी. विस्पुट कॉलेज ऑफ फार्मसी एंड रिसर्च सेंटर, पनवेल, रायगढ़, महाराष्ट्र	जैविक रासायनिक”;

3. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में,

(1) बिहार के नीचे, क्रम संख्या 2 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	ओमशिवा टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, पटना पंजीकरण सं. 28/ई/एफएसएसएआई/2025 122-सी, आस्था, रोड नंबर 5ए, पटना, बिहार	जैविक रासायनिक"

जी.कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./942/2024-25]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से की गई थी।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2025

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under **Haryana**, for serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"4.	HTH Laboratories Private Limited, Panipat Reg. No. 31/N/FSSAI/2016 Plot No. 50-C, Sector-25, Part-II, Huda, Panipat, Haryana	Biological Chemical";

(2) under **Rajasthan**, for serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"3.	Jagdamba Laboratories (OPC) Private Limited, Jaipur Reg. No. 35/N/FSSAI/2016 119, Solitaire Industrial Park, Phase 1st, Dahmi Kallan, Bagru, Jaipur, Rajasthan	Biological Chemical";

(3) under *Uttar Pradesh* at serial number 1, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted.

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under *Madhya Pradesh* at serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted.

(2) under *Maharashtra*,

(a) for serial number 7, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7.	FHHL Private Limited, Pune Reg. No. 10/W/FSSAI/2014 Survey No. 126/10, Plot No. 1, Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar, Pune, Maharashtra	Biological Chemical";

(b) after serial number 38, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"39.	Biozed Engineering Private Limited, Thane Reg. No. 74/W/FSSAI/2025 Plot No. B-53, Road No. 30, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra	Biological Chemical
40.	Adarsh Scientific Research Center and Testing Laboratory Pvt. Ltd., Raigad Reg. No. 75/W/FSSAI/2025 Shri D.D. Vispute College Of Pharmacy And Research Center, Panvel, Raigad, Maharashtra	Biological Chemical";

3. In 'D' related to EASTERN REGION,

(1) under *Bihar*, after serial number 2, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"3.	Omshiva Test House Private Limited, Patna Reg. No. 28/E/FSSAI/2025 122-C, Aastha, Road No. 5A, Patna, Bihar	Biological Chemical"

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exy./942/2024-25]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F.No.QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 21st October, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.